कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

कमांक :– एफ 21(5) 2022–23/नाबार्ड–4/विकास/प्रमुवसं/ 4948 दिनांक: 08. 8. 22

संशोधित कार्यालय आदेश

नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXVI, Phase-IV) परियोजना के अंतर्गत इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ 21(5) 2022–23/नाबार्ड–4/ विकास/प्रमुवसं/809 दिनांक 25.04.2022 द्वारा वर्ष 2022–23 में आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यो में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा के पत्रांक 2204 दिनांक 11.07.2022 से प्राप्त प्रस्ताव में अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट का आवंटन किया जाता है।

उप वन संरक्षक	बजट मद	कार्य का नाम	पूर्व में आंवटित		संशोधित आंवटन	
			भौ0 (है0)	वित्तीय (लाखों मे)	भौ0 (है0)	वित्तीय (लाखों मे)
उप वन संरक्षक वन्यजीव, कोटा	4406–01–102 –14–16	RDF-II Plantation work	50	7.98	0	0.00
उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक (कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी			0	0.00	50	7.98

आवंटित राशि का परियोजना के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. नाबार्ड योजना का पूर्ण अध्ययन कर योजना के अनुरूप कार्यों का कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
2. उक्त आवंटन में भौतिक लक्ष्यो का अंकन आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/उपलब्धि के आधार पर किया गया है। यदि इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो विवरण सहित 25 अगस्त 2022 तक अनिवार्य अदगत करावें।
3. उक्त आंवटन में यदि किसी मद में राशि का उपयोग संभव नही है अथवा बचत हो तो वह राशि इस कार्यालय को आवंटन के दिनांक से एक माह के अन्दर समर्पित कर दी जावें।
4. परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत कार्यो पर की गई राशि का उपयोग जिन कार्यों के लिये राशि आवंटित की गई है उन्हीं पर व्यय की जावें ।
5. राशि का उपयोग करते समय नाबार्ड द्वारा स्वीकृति NB SPD/2271/RIDF-XXVI (Rajasthan)/ 64th!SC/ 2020-21 Dated 24-09-2020 में दिये गये सुझावों तथा ऋण जिन शर्तो पर लिया गया है उसकी पालना सुनिश्चित की जावे। इसके साथ ही इस कार्यालय एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करावें । आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे।
6. परियोजना की राशि में से संस्थापन तथा किराये के वाहन, वाहनों का कय तथा उनके रखरखाव आदि पर व्यय नहीं किया जाकर उपलब्ध स्टॉफ एवं संसाधनों का ही उपयोग किया जावे।
7. परियोजना के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी गतिविधि एवं कार्यो पर व्यय नही किया जावे जो प्रतिबंधित हो/अन्य योजनाओं में शामिल हो अथवा कियान्वित करवाई जा चुकी हो/करवाई जा रही हो।
8. प्रत्येक विकास कार्य का प्राक्कलन बना कर ही कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
9. परियोजना की प्रगति समयबद्ध तरीके से की जाकर इस कार्यालय एवं राज्य सरकार को समय समय पर सूचित किया जावे ।
10. परियोजना अन्तर्गत किये गये वन विकास कार्यो को ई–ग्रीन वॉच की साईट पर अपलोड करने के उपरांत ही राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

11. आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे। व्यय करते समय **RTTP Act/Rules** की पालना भी सुनिश्चित की जावें।
12. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण को राज्य सरकार के आदेश कमांक प01 (2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2005 दिनांक 13.12.2013 द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। इस योजना का पूर्ण समन्वयन तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रकियाओ की पालना कराने की उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक गण का होगा। अतः समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का कियान्वयन परियोजना के अनुसार करवाने की सुनिश्चितता करे।
13. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का पूर्ण रिकार्ड व वन सुरक्षा समितियों के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड संधारण की पूर्ण सुनिश्चिता करवायेगे।
14. मुख्य वन संरक्षक गण प्रतिमाह उप वन संरक्षक गण की बैठक आयोजित कर योजना की गतिविधियों का पैकेजवार कियान्वयन सुनिश्चिता करवायेगे।

(एम. के. गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ 21(5) 2022–23/नाबार्ड–4/विकास/प्रमुवसं/ 4949-58 दिनांकः 08.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक वन्यजीव, कोटा/ उप निदेशक (कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी
5. कम्प्यूटर अनुभाग वन विभाग,राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. कनिष्ठ लेखाकार, विकास अनुभाग /सूचना सहायक, (विकास अनुभाग) कार्यालय हाजा
7. प्रभारी अंक मिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (साख्यिकी अनुभाग)/रक्षित पत्रावली

(अमर सिह गोठवाल)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर